संख्या-346/एक-10-2025

प्रेषक,

शैलेन्द्र मणि त्रिपाठी,

अनु सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,

सिद्धार्थनगर।

राजस्व अनुभाग-10 लखनऊ:दिनांक:29-03-2025

विषयः वर्ष 2024-25 में शीतलहरी/पाला से हुई जनहानि से प्रभावितों को राहत सहायता प्रदान किये जाने हेतु राज्य आपदा मोचक निधि के शीतलहरी मद-08 से धनावंटन किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-299/राहत लिपिक/2024-25 दिनांक 28 मार्च, 2025 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा आवेदिका बेलावती पत्नी रामजस पुत्री स्व0 राजाराम, निवासी-बंजरहा खास, थाना-बृजमनगंज, जनपद-महराजगंज की माता श्रीमती तारामती की मृत्यु दिनांक 06.01.2025 को रेलवे स्टेशन बढ़नी तहसील शोहरतगढ़ पर ठण्ड लगने के दौरान जनपद सिद्धार्थनगर में हो जाने के कारण श्रीमती बेलावती को रू0 4.00 लाख की अहैतुक सहायता दिये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्ष 2024-25 में शीतलहरी/पाला से हुई जनहानि से प्रभावित तारामती की आश्रित पुत्री श्रीमती बेलावती को राहत सहायता प्रदान किये जाने हेतु **रू0 4.00 लाख (रूपये चार लाख मात्र)** की धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन जिलाधिकारी, सिद्धार्थनगर के निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती है।

नियम व शर्तें/प्रतिबन्ध

(1) स्वीकृत धनराशि आहरित करके बैंक खाते में नहीं रखी जायेगी अपितु आपदा से प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों को राहत सहायता प्रदान किये जाने हेतु शासन की शीर्ष प्राथमिकता के दृष्टिगत स्वीकृत की जा रही धनराशि का पारदर्शी एवं त्वरित ढंग से वितरित किये जाने हेतु वित्त विभाग के शासनादेश सं0-ए-1-803/दस-2013-10(28)/2011, दिनाक 10.10.2013 (उक्त शासनादेश पूर्व में सभी मण्डलायुक्त/जिलाधिकारीगण को प्रेषित किया जा चुका हैं, जिसे राहत की वेबसाइट पर देखा एवं प्राप्त किया जा सकता है) में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सम्बन्धित जनपदीय कोषागार से सीधे लाभार्थी के बैंक खातें में ई-पेमेन्ट (डी.बी.टी.) के माध्यम से ही भुगतान सुनिश्चित किया जाये।

(2) जिस मद में शासन द्वारा धनराशि स्वीकृत की जा रही है, उसी मद में इस धनराशि का उपयोग किया जायेगा। अन्य किसी भी मद/विभागीय कार्य हेतु धनराशि का व्यय कदापि न किया जाये।

(3) भारत सरकार के पत्र सं0-33-03/2020-NDM-1 दिनांक 11.07.2023 द्वारा आपदा से प्रभावितों को राहत सहायता वितरित करने के निर्देश एवं मानक दरें निर्धारित की गयी हैं। जनपद उक्त आवंटित धनराशि का वितरण भारत सरकार के उपरोक्त पत्र के अनुसार दिये गये निर्देशों एवं मानक दरों के आधार पर करेंगे।

(4) राज्य आपदा मोचक निधि की धनराशि का व्यय सक्षम अधिकारी द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त नियमानुसार प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए निर्धारित अवधि के अन्दर किया जायेगा।

(5) निधि से प्रदत्त धनराशि आपदा राहत हेतु प्रदान की जाती है। अतः आपदा के अनुसार राहत की आवश्यकता का निर्धारण करना तद्नुसार धन उपलब्ध कराना तथा इसका सदुपयोग सुनिश्चित करना, व्यय का पूर्व विवरण शासन की निर्धारित तिथि तक उपलब्ध कराना जिलाधिकारी का कर्तव्य है। अतः आपदा मोचक निधि से प्रदत्त धनराशि का प्रत्येक स्तर पर पूर्ण सजगता के साथ समुचित उपयोग सुनिश्चित किया जाये।

(6) राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा-जोखा रखा जाये तथा माह के अंत में जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित मदवार मासिक व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाये।

(7) राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशियों के उपभोग/समर्पण के संबंध में शासनादेश सं0-2/1- 11-2013-रा0-11, दिनांक 04.03.2013 का अनुपालन किया जायेगा। शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि में से यदि कोई बचत/अवशेष की स्थिति बनती है,तो उसे वित्तीय वर्ष के समापन/दिनांक 31 मार्च, 2025 से पूर्व शासन को नियमानुसार समर्पित कर दिया जाये।

(8) उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369-एच के अधीन निर्धारित प्रारूप सं0-42 आई में शासन को उपलब्ध कराया जाये।

(9) व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाये।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय **रू0 4.00 लाख (रूपये चार लाख मात्र)** चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक के अनुदान सं0-51 के अंतर्गत लेखाशीर्षक "2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत-05-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड-800-अन्य व्यय-06-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय-08-शीतलहरी/पाला हेतु स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय-42-अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04 मार्च, 2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

Signed by
Shailendra Mani Tripathi
Date: 29-03-2025 18:40:57
(शैलेन्द्र मणि त्रिपाठी)
अनु सचिव।

<u>संख्या-346(1)/एक-10-2025 तद्दिनांक।</u>

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम(लेखा एवं हकदारी), प्रयागराज, उ0प्र0।
2- सम्बन्धित मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
3- स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव उ0प्र0।
4- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद्, उ0प्र0 लखनऊ।
5- राहत आयुक्त, उ0प्र0, लखनऊ।
6- विशेष सचिव/नोडल अधिकारी, बजट आवंटन (ई-बजट), राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन।
7- वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी योजना भवन, लखनऊ को राहत की वेबसाइट एच0टी0टी0पी0/राहत यू0पी0 एन0आई0सी0 इन पर अपलोड किये जाने हेतु।
8- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, राहत आयुक्त कार्यालय, लखनऊ, उ0प्र0।
9- संबंधित जनपद के मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उ0प्र0।
10- वित्त (व्यय नियन्त्रण) अनुभाग-5।
11- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शैलेन्द्र मणि त्रिपाठी)
अनु सचिव।

Allotment Grid Report

Financial Year:- 2024-2025
Date of Allotment- 29/03/2025

Dispatch No.:- 346
Allotment Order No:- 002-346
Grant No.:- 51 Department of Revenue (Residence in relation to natural calamities) (Allocation for the financial year 2024-2025)
Article Title:- 2245 - Residence due to natural calamity (Non-Plan-Votable)
05 - State Disaster Response Fund
800 - Other expenses
06 - Expenditure from State Disaster Response Fund
08 - Expenditure from State Disaster Response Fund for relief from cold wave / Pala

(Amount in Rs.)

S.No.	Name of Officer/District		42-Other expenses	Yoga
1	Siddharthnagar-4217-District Magistrate, --01--	Current progressive	400000 7844600	400000 7844600
	Yoga	Current progressive	400000 7844600	400000 7844600

Mahayoga- (Present Allocation):- Rupees four lakhs
Mahayoga- (Progressive Allocation):- Rupees seventy eight lakh forty four thousand six: Mrs

(Santosh Kumar)
Senior Finance & Accounts Officer

(संतोष कुमार)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
राहत आयुक्त कार्यालय
उत्तर प्रदेश।